अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 21 फरवरी, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जनवरी, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जनवरी, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

(अभय कुमार)

निदेशक (पी0 एण्ड सी0)

दूरभाष नं0 23388317

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिमंडल के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली ।
8. निदेशक, एन. आई. सी को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

जनवरी, 2019 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

1. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक:

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 को दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। माननीय राष्ट्रपति, की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए महासचिव, राज्य सभा को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

2. दालों का बफर-स्टॉक:

- 31.01.2019 की स्थिति के अनुसार 20.50 लाख टन अधिप्राप्त/आयातित दालों में से 18.68 लाख मीट्रिक टन के निपटान के बाद दालों का उपलब्ध बफर-स्टॉक 1.82 लाख मीट्रिक टन था।
- जनवरी,2019 माह के दौरान दालों के निपटान के संबंध में साप्ताहिक पुनरीक्षा की 4 बैठके आयोजित की गई थी। क्षेत्र को आपूर्ति किए जाने से संबंधित मुद्दों की निगरानी की गई थी तथा उनका समाधान किया गया था। पी.एस.एस. आपूर्तियों से अंतरण द्वारा बफर-स्टॉक का निर्माण आरंभ किया गया था।
- पुनर्गठित पी.एस.एफ.एम.सी. की 29 वीं बैठक दिनांक 30.01.2019 को आयोजित की गई थी।

3. एन.सी.सी.एफ.

- डयूटी की गंभीर लापरवाही के कारण तत्कालीन प्रबंध निदेशक, एन.सी.सी.एफ. के स्थान पर उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त-सचिव की तैनाती के लिए ए.सी.सी. का पूर्व- अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। आरोपों का संगम-अनुच्छेद, दुराचार के अभ्यारोपण का विवरण, प्रभारी अधिकारी को भेज दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21.05.2018 के आदेश द्वारा प्रबंध निदेशक, एन.सी.सी.एफ. के रूप में उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त -सचिव की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। सरकार के हितों की संरक्षा के लिए, विभाग ने दोहरी पीठ (डबल बेंच) के समक्ष लेटर पेटेन्ट्स अपील (एल.पी.ए.) दायर की थी। दोहरी पीठ (डबल बेंच) ने दिनांक 29.01.2019 के अपने आदेश में संयुक्त – सचिव उपभोक्ता मामले विभाग की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। विभाग ने ए.सी.सी. से अनुरोध किया है कि संयुक्त-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को प्रबंध-निदेशक, एन.सी.सी.एफ. के रूप में दिनांक 09.11.2018 से आगे 6 माह का विस्तार दिया जाए ताकि सरकार के हित तथा जन-हित की संरक्षा की जा सके।
- विभाग ने एम.एस.सी.एस. अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर विद्वान एकल न्यायाधीश के स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए दोहरी पीठ के समक्ष एल.पी.ए. भी दायर की है जिससे कि सरकारी प्रशासक एन.सी.सी.एफ. बोर्ड को प्रतिस्थापित कर सके। इसके अलावा, एम.एस.सी.एस.

अधिनियम की धारा 122 के तहत जारी किए गए सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए दायर की है जिसमें एन.सी.सी.एफ. को नवम्बर, 2017 माह में सी.आर.सी.एस. द्वारा पंजीकृत उप-नियमों में संशोधनों को प्रभावित न करने और उप-नियमों को संशोधित करने ताकि अधिनियमों और नियमों के अनुरूप इन्हें मूल-स्थिति में लाया जा सके, के लिए कहा गया है। आशा है कि सभी एल.पी.ए. पर सुनवाई फरवरी, 2019 के अंतिम सप्ताह में होगी जबकि एकल पीठ के समक्ष एन.सी.सी.एफ. के मामले की सुनवाई दिनांक 18 फरवरी, 2019 के लिए नियत की गई है। वर्तमान में एन.सी.सी.एफ. में अधिकांश हिस्सेदारी सरकार के पास है।

4. अंतराष्ट्रीय सहयोग-इंडो-जर्मन जे.डब्ल्यू.जी.

सचिव (उपभोक्ता मामले) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने वर्लिन, जर्मनी में 17-18 जनवरी, 2019 को हुई मानकीकरण अनुरूपता मूल्यांकन और उत्पाद सुरक्षा में सहयोग के लिए गुणता अवसंरचना सम्बन्धी इंडो-जर्मन कार्य-दल की छठी बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान सहयोग के विभिन्न - क्षेत्रों पर की गई प्रगति की पुनरीक्षा की गई तथा आपसी-हित के भावी क्षेत्रों जिसके आधार पर कार्य-योजना, 2019 को अंतिम रूप दिया जाएगा, पर विचार-विमर्श किया गया।

5. भारतीय मानक-ब्यूरो (बी.आई.एस.)

- बी.आई.एस. फिक्की के सहयोग से इंडियन स्टैण्डर्ड ऑन बुलेट रेजिसटेंस् जैकेट- परफार्मेन्स रिक्वायरमेंट (आई.एस. 17051: 2018) रिलीज करने सम्बन्धी एक आयोजन 10.01.2019 को फिक्की नई दिल्ली में आयोजित किया। इससे भारत में अमेरिका, यू.के. जिनके इस विषय से संबंधित अपने-अपने राष्ट्रीय मानक हैं, जैसे राष्ट्रों की चयन-लीग में स्थान बना लिया है।
- सिंथेसाइजड हाइड्रोकार्बन्स-स्पेसिफिकेशन से निहित आई. एस. 17081:2019- एविएशन-टरबाइन फ्यूल (केरोसीन टाइप, जेट-ए-I) का रिलीज समारोह बी.आई.एस. द्वारा दिनांक 24.01.2019 को वायु-मुख्यालय, वायु- भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- इलेक्ट्रानिक्स एंड आई.टी. उत्पादों के लिए अनिवार्य पंजीकरण स्कीम (सी.आर.एस.) के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक बी.आई.एस. कुल 16,249 पंजीकरण स्वीकृत किए हैं। जनवरी, 2019 के दौरान, 469 आवेदन प्राप्त हुए तथा 447 पंजीकरण स्वीकृत किए गए।

6. आवश्यक वस्तु अधिनियम:

आवश्यक वस्तुओं पर कार्रवाई करने वाले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को "मेक-इन-इंडिया" के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसों के वार्षिक/आवधिक नवीकरण, यदि कोई हो, के उपबंध के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन करने की सलाह दी गई थी।

7. **मंहगाई की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

(i) मंहगाई की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सूचकांक	मंहगाई दर (%में)		
		दिसम्बर, 2018 (अनन्तिम)	नवम्बर, 2018 (अनन्तिम)	दिसम्बर, 2017 (अन्तिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक # **(वार्षिक)**	3.80	4.64	3.58
2	थोक मूल्य सूचकांक # **(खाद्य वस्तुएं)**	-0.07	-3.31	4.72
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक**(औद्योगिक कामगार)**	5.24	4.86	4.00
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(संयुक्त)***	2.19	2.33	5.21
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)#**	-2.51	-2.61	4.96

* श्रृंखला: 2012=100 # नया आधार वर्ष: 2011-12=100

8. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त, दिसम्बर, 2018 माह की तुलना में जनवरी, 2019 माह में अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

9. अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय को संसूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और दिसम्बर 2018 माह की तुलना में जनवरी, 2019 माह में अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के रूझान नीचे दिए गए है:-

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें (रूपए/कि.ग्रा.)

क्रम सं.	वस्तु	जनवरी, 2019 (अंतिम)	दिसम्बर, 2018 (विगत माह)	अन्तर (रूपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	30	30	0
2	गेहूं	26	25	1
3	आटा	27	27	0
4	चना दाल	66	66	0
5	तूर दाल	73	72	1
6	उड़द दाल	72	71	1
7	मूंग दाल	76	75	1
8	मसूर दाल	62	61	1
9	चीनी	38	38	0
10	दूध	43	43	0
11	मूंगफली का तेल	126	127	-1
12	सरसों का तेल	108	108	0
13	वनस्पति	81	81	0
14	सोया तेल	91	91	0
15	सूरजमुखी का तेल	98	98	0
16	पॉम ऑयल	76	76	0
17	गुड़	42	42	0
18	चाय खुली	208	209	-1
19	नमक पैकबंद	15	15	0
20	आलू	17	19	-2
21	प्याज़	18	19	-1
22	टमाटर	23	22	1

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

(12)

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

-कोई नहीं -

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन:

ई-समीक्षा पोर्टल पर अपटेड कर दिया गया है।

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

फाईलों की कुल संख्या	ई-फाईलों की कुल संख्या
211	**174**

6. लोक शिकायतों की स्थिति:

जनवरी, 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**जनवरी, 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
886	**304**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति (एन.सी.एच.):

जनवरी, 2019 माह के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एन.सी.एच.) में दर्ज किए गए कुल डॉकेट	**जनवरी, 2019** के अंत में समाप्त किए गए कुल डॉकेट
50953	**31864**

8. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष देश भर के 109 केंद्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। यह कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को तत्काल ही विभाग की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित कर दिया जाता है। कीमतों की ऑनलाईन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। विलम्ब से बचने तथा अधिक प्रभावी परिणामों के लिए दिए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यालय के दिन-प्रति-दिन के अन्य कार्यों को भी ऑनलाईन किया जा रहा है।

****